भारत में बढ़ते बाल अपराध की समस्याओं का अध्ययन

डॉ. रीता कुमारी
मनोविज्ञान विभाग,
ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वरनगर दरभंगा
(वाजितपुर, पीडौली, तेघड़ा, बेगूसराय)

सारांश :

बाल–अपराध किशोर तथा वयस्क अपराध को प्रशस्त प्रवेश द्वार है यही वह आपराधिक सोपान है जहाँ व्यक्ति आपराधिकता का प्रथम पाठ पढ़ता है। अपराध करना सीखता हैं तथा आपराधिक कृत्य करने में दक्षता हासिल करता हैं। किशोरावस्था में जब शारीरिक बल और जोश अपनी चरम सीमा पर होते हैं। पर।न्तु विवेक इनके संयुक्त प्रभाव पर नियन्त्राण रखने के लिए परिपक्व नहीं होता, अपराध करने की प्रवृत्ति सबसे बलशाली होती हैं। प्राचीन दण्ड–शास्त्र में अपराधियों को दण्डित करने के मामले में वयस्क या अवयस्क बालक, किशोर, युवा, वृद्ध आदि का कोई भेद नहीं किया जाता था तथा सभी को समान रूप से दण्डित किये जाने की प्रथा प्रचलित थी। इसलिए उस समय बाल अथवा किशोर अपराधियों को दण्डित करते समय उनके प्रति उदारता बरतने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधारात्मक दण्ड पद्धति के आने के साथ दण्डशास्त्रियों का ध्यान किशोर अपराधियों की ओर आकृष्ट हुआ और यह अनुभव किया कि उनके साथ सुधार एवं सहानुभूति पूर्ण नीति अपनायी जानी चाहिए। बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती हैं लेकिन बाल–अपराध के आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते है इसका कारण है सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नामक संस्था का कमजोर पड़ना, बढ़ती व्यावसायिकता और कमजोर कानून, एक ओर जहाँ हमारा देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है वही समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार Ðास हो रहा है,

अब संबंध मायने नहीं रखते, रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती जा रही है संयुक्त परिवार की परम्परा अब इतिहास की चीज बनती जा रही है हम दो हमारे दो के इस दौर में माता–पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगा रहता है पैसे की इस धमा चौकड़ी के चलते उपजा अकेलापन बच्चों को निराशा की ओर ले जाता है हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता–पिता बच्चों की हर छोटी–बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है सही–गलत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाते है कई बार अपराधियों को नायक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है बच्चे इससे प्रभावित होकर उनकी नकल करने की कोशिश करते है और अपराधी बनकर रह जाते हैं।

प्रस्तावना :

बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती है। लेकिन बाल अपराध के उक्त आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है ? इसका कारण सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नामक संस्था का कमजोर पड़ना, बढ़ती व्यवसायिकता और कमजोर कानून। एक ओर जहाँ हमारा देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगतार Ðास हो रहा है। हम दो–हमारे दो के इस दौर में माता–पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगे रहता है। पैसे की इस धमाचौकड़ी के चलते उपजा अकेलापन बच्चें को निराशा की ओर ले जाता है। हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता–पिता बच्चों की हर छोटी–बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है, सही–गलत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते है जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाता है। बाल–अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं। भारतीय कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम', 2000 के अनुसार अगर कोई बच्चा कानून के खिलाफ चला जाता है तो आम आरोपियों की तरह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने अथवा अपराधियों की तरह जेल या फांसी नहीं बल्कि बाल गृहो में सुधार के लिए भेजा जायेगा। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं, इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधियों को दंड नहीं, बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें सुधार–गृह में रखा जाता है, जहाँ उनकी दूषित हो चूकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किया जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है।

भारत में बाल अपराध :

भारत में नाबालिकों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बाल मन पर अपराध ने कब्जा जमा लिया है। दिल्ली में 35 फिसदी की दर से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। नाबालिग दुष्कर्म, यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़, डकैती और चोरी में बालिग अपराधियों से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में दिल्ली, मुंबई सहित देश के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6.645 मामले सामने आए। इनमें केवल दिल्ली में 2.368 दर्ज हुए। दिल्ली में 51 नाबालिगों पर हत्या और 81 पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। जबकि 143 नाबालिगों पर दुष्कर्म और 35 नाबालिगों के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले दर्ज हुए। सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले में बाल अपराधियों की संलिप्तता सामने आई। इसके अलावा छेड़छाड़ के 138 और यौन शोषण के 66 मामले भी नाबालिगों पर दर्ज किए गए हैं। डकैती की 370 और चोरी की 766 वारदात को नाबालिगों ने अंजाम दिया। मनोवैज्ञानिक इसे एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है भौतिकवादी चमक–दमक और मीडिया का दुष्प्रभाव बचपन पर हावी हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब और खिलौने होने चाहिए उस अवस्था में किशोर हथियार उठाने के साथ ही दूसरे की अस्मत से खेल रहे हैं। भारत में बालकों के खिलाफ 2003 में जहाँ 33,320 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़ कर 42,566 हो गए। इनमें सोलह से अठारह साल आयु के 31.364, बारह से सोलह साल की आयु के 10,534 और बारह साल से कम आयु के 668 बच्चे गिरफ्तार हुए थे। बारह साल वाले बच्चों में से एक दर्जन को हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। गंभीर और शर्मनाक तथ्य यह है कि पिछले दस सालों में किशोरी द्वारा बलात्कार के मामलों में तीन सौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। 2003 में किशोरी द्वारा बलात्कार के 535 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़ कर 2,144 हो गए। किशोरों द्वारा अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी के बाद दिल्ली सरकार जघन्य अपराधों में सजा की न्यूनतम उम्र सीमा पंद्रह साल करने की माँग कर रही है, जबकि लोकसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2014 पारित किया गया है, जिसमें सजा देने की उम्र सीमा अठारह से घटा कर सोलह साल कर दी गई है। भले यह विधेयक अभी कानून नहीं बन सका है, लेकिन नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है। उससे इस विधेयक को कानून बनाने की मांग तेज हो रही है। एनसीआरबी के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए बलात्कारों की संख्या 2012 के मुकाबले 2014 में लगभग दोगुना हो गई। 2014 में दर्ज बलात्कार के 2,144 मामलों में से 1488 में बलात्कारियों की उम्र सोलह से अठारह साल के बीच थी, जबकि 2012 में 1316 किशोरों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि भारत में अठारह साल से कम उम्र का अपराधी नाबालिग माना जाता है और उनके खिलाफ आरोप की सुनवाई केवल 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' में होती है। सजा के नाम पर उन्हें अधिकतम तीन साल बाल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई जाती है, जबकि बदलते परिवेश में किशोरों द्वारा लगातार गंभीर अपराध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिर्फ भारत में किशोरों को जघन्य अपराध करने के बावजूद गंभीर सजा नहीं मिल पाती है।

बाल अपराध के लक्षण एवं विशेषताऐं :

बाल अपराध एक मनभावनात्मक व्यावहारिक विचलन है। बालक की मनोभावनाएँ ही उसे अपराधी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है अतः अपराध एक मानसिक और शारीरिक क्रिया है। बालकों की वृत्ति और अपराध के द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है इस क्षेत्र में अध्ययनकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर बाल अपराधियों के कुछ सामान्य लक्षण बतायें हैं।

1. बाल अपराधी की शारीरिक संरचना सामान्य गठीला शरीर शक्तिशाली तथा निडश्र होते हैं।
2. वे स्वभाव से बेचैन उग्र बहिर्मुखी तथा विघटनकारी होते है।
3. इनका व्यक्तित्व अनैतिक अत्यधिक संवेगशील, स्वार्थी तथा आत्मकेन्द्रित होते हैं।
4. अदूरदर्शी तथा अपराध के परिणाम से अनभिज्ञ रहते हैं।
5. बाल अपराधी प्रायः सामान्य बालकों की अपेक्षा मनोस्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं।
6. बाल अपराधियों के इदम् (id) अहम् (ego) तथा पराहम् (super ego) में समुचित संतुलन का अभाव होता है।
7. ये प्रायः विषादग्रस्त निराश हताश और गुमसुम दिखाई देते हैं।
8. ये शासन सत्ता के विरोधी नियम कानून का उल्लंघन करने वाले तथा अविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं।
9. ये अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए सुनियोजित रूप से किसी कार्ययोजना का पूर्वनिर्धारण नहीं करते हैं।

विशेषताएँ :

बाल अपराधियों की विशेषताओं का विवेचन समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने–अपने ढ़ंग से किया है मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधियों की मनोसामाजिक, मनोशारीरिक, संवेगात्मक एवं शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। समाजशास्त्रियों ने उनकी व्यावहारिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयार्क शहर के बाल न्यायालय अधिनियम में बाल अपराध की व्यावहारिक विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है–

1. बाल अपराधी आदतन उद्दण्ड तथा अज्ञाओं का उल्ल्घन करने वाले होते हैं।
2. यह प्रायः राजकीय नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
3. इनकी संगीत आवारा, अनैतिक एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ होती है।
4. इनका व्यवहार अनैतिक एवं अशोभनीय होती है।
5. यह बिना आज्ञा के निरूद्देश्य देर रात तक घर से बाहर घूमते रहते हैं।

6. कानूनी रूप से निषिद्ध स्थानों पर घूमने अवश्य जाते हैं।
7. ऐसे बालक स्टेशनों मेलों एवं तीर्थस्थानों पर भीख मांगते हुए प्रायः दिखाई पड़ते है।
8. ये तस्करी आदि गैर–कानूनी धंधों में लिप्त रहते हैं।
9. इनमें स्कूल एवं घर से भागने की आदत होती है।
10. ऐसे बालक समाज में सम्मानित पाने के बड़े उत्सुक रहते हैं। समाज में अपना स्थान पाने के लिए नीच से नीच कार्य करने से नहीं चूकते।''

बाल अपराधियों का वर्गीकरण :

मनोवैज्ञानिकों मनोविशलेषकों एवं समाजशास्त्राों आदि ने अपने अध्ययनों के आधार पर बाल अपराधियों का वर्गीकरण किया है यहाँ उसी आधार पर बाल अपराधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है–

क्र.स.	मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण	मनोविश्लेषकों का वर्गीकरण	सामाजिक वर्गीकरण
1.	क्षणिक बाल अपराधी	असमान्य अपराध	आयु का आधार
2.	स्वभावगत बाल अपराधी	आत्म सम्मोही अपराधी	व्यवहार का आधार
3.	मनोकाइक बाल अपराधी	बहिर्मुखी अपराधी	क्रियाओं का आधार
4.	विक्षिप्त बाल अपराधी	–	लिंगीय आधार
5.	चरित्र विकार वाले बाल अपराधी	–	–

बाल अपराध के प्रकार :

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है, कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बाल अपराध के निम्न प्रकार हैं –

1. वैयक्तिक बाल अपराध
2. समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध
3. संगठित बाल अपराध
4. परिस्थितिवश बाल अपराध

1. वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकत्तर व्याख्याएँ मनोचिकित्सक समझाते हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936) ने अपराधी युवकों की तुलना उंन्हीं के अपराधी सहोदारों से और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलबिध यह थी कि 13.0 प्रतिशत अनपराधी सोहादरों की तुलना में 90.0 प्रतिशत अपराधी किशारों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वे अपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे, उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ–बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे, क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता–पिता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़कों से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उन्हें पता चला की अपराधी अनपराधियों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा–सा भिन्न ही है, लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थे, इस प्रकार अपराध में पिता पूत्र सम्बन्ध, माता–पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके, इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।

2. समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध :

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तितव या परिवार में नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह पाया कि युवक अपराधी इसलिए बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया।

3. संगठित बाल अपराध :

यह बाल अपराध उन बाल अपराधों का उल्लेख करता है जो औपचारिक रूप से संगठित गुटों को विकसित करके किये जाते है। इन बाल अपराधों का विश्लेषण अमेरीका में 1950 के दशक में किया गया और अपराधी उप–संस्कृति की अवधारणा को विकसित किया गया। यह अवधारणा उन मूल्यों और प्रतिमानों का उल्लेख करती है जो कि गुट के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते है अपराध करने को प्रोत्साहित करते है ऐसे कार्यों के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करते है और उनलोगों से विशिष्ट संबंधों

का उल्लेख करते है जो उन समूहीकरण के बाहर होते हैं जो समूह के प्रतिमानों से प्रभावित होते हैं कोहिन वह पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के अपराध का उल्लेख किया।

4. परिस्थितिवश बाल अपराध :

परिस्थितिवश अपराध एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है यहाँ यह मान्यता है कि अपराध की जड़े गहरी नहीं होती और अपराध के लिए प्रेरणाएं और उसे नियंत्रित करने के साधन बहुधा अपेक्षाकृत सरल होते हैं। एक युवा व्यक्ति आपराधिक कार्य अपराध के प्रति गहरी वचनबद्धता के बिना करता है क्योंकि उसमें मनोवेग नियंत्रण कम विकसित होता है और या पारिवारिक नियंत्रण कम सुदृढ़ होते हैं और क्योंकि पकड़े जाने पर भी उसके पास खाने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।

बाल अपराध के कारण :

प्रायः सभी समस्याओं में बाल–अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पाये जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है अतः अपराधों को रोकना आवश्यक है। अपराध को रोकने के लिए उसके कारणों को पता लगाना आवश्यक है। रवीन्द्र नाथ टैगोर का यह कथन है कि ''जिस बुराई का कारण हम जानते हैं वह आधी दूरी हो जाती है'' सत्य प्रतीत होता है।''

विभिन्न शास्त्रों से संबंधित विद्वानों ने बाल अपराध के पृथक्–पृथक् कारण बताये है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक सम्प्रदाय बाल अपराध का कारण मनाफाइड विकृतियों का मानता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया है कि बाल अपराध के सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण होते है। कुछ का मत है कि बाल अपराध का प्रमुख कारण मानसिक रोग होते है। इस प्रकार अपराध के कारणों पर मतैक्य नहीं है। प्रा. आर.एस. सिंह का कहना है कि ''बाल अपराध की व्याख्या एक कारक से कभी सम्भव नहीं''

बाल अपराध के कारण :

अ) वातावरण संबंधी कारण ब) व्यक्तिगत कारण

यहाँ पर किशोरापराध के कारणों को तीन वर्गों में विभाजित कर उनका अध्ययन किया गया है–

1. सामाजिक कारण, 2. मनोवैज्ञानिक कारण तथा, 4. आर्थिक कारण।

1. सामाजिक कारण :–

किशोरापराध के कारणों में से सबसे अधिक व्यापक सामाजिक कारण है। इसमें मुख्य कारण हैं :–1. परिवार, 2. विद्यालय, 3. बुरी संगति, 4. मनोरंजन, 5. युद्ध, 6. स्थानान्तरण, 7. सामाजिक विघटन

1. परिवार :– किशोरापराध के कारणों में इलियट व मैरिल ने दूषित पारिवारिक प्रभाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। हीली व ब्रोनर ने शिकागों तथा बोस्टन के 4000 किशोरोपराधियों में 50 प्रतिशत विश्रृंखलित घरों में आये हुए किशोरों को पाया। परिवार के संबंध में मुख्य परिस्थितियाँ है–(क) मग्न परिवार, (ख) माता–पिता का रूख, (ग) अपराधी भाई बहनों का प्रभाव, (घ) माता–पिता का चरित्र व आचार।

(क) मग्न परिवार : मग्न परिवार जैसा के उसके नाम से स्प्ष्ट है ऐसा परिवार है जिसमें पारिवारिक संबंध टूट चुके हैं। परिवार का तात्पर्य केवल कुछ व्यक्तियों का इकट्ठा रहना मात्र नहीं है बल्कि उनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है इस घनिष्ठता की अनुपस्थिति में परिवार विश्रृंखलित परिवार में किशोर अपराधी उत्पन्न होते है मग्न परिवार में बालक की देखभाल नहीं हो पाती कुछ विशेषज्ञों के अनुसार विश्रृंखलित परिवार बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अपराधवृत्ति के लिए अधिक सहायक होता है।

(ख) माता–पिता का रूख : किशोरापराध की पारिवारिक परिस्थिति में बालक और माता–पिता के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुधा जब बालक को माता–पिता का प्रेम नहीं मिलता तथा बात–बात में कठोर दण्ड मिलता है तो उसमें विद्रोह और क्षोभ बढ़ता है जिससे अवसर पाकर वह घर से भाग जाता है और अपराध जगत में पड़ जाता है।

(ग)अपराधी भाई बहनों का प्रभाव : केवल माता–पिता व बालकों के संबंध का ही नहीं बल्कि भाई बहनों के व्यक्तित्व का भी बालकों के व्यक्तितव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव लड़कियों पर अधिक देखा जाता है क्योंकि भाई–बहिन अपराधी व्यवहार करते हैं तो उसका असर छोटे भाई बहनों पर जरूर पड़ता है।

(घ) माता–पिता का चरित्र व आचार : माता–पिता के चरित्र और आचार का बालकों के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे बालक बहुत कम है जो अपने माता–पिता को झूठ बोलते व मक्कारीपूर्ण व्यवहार, यौन अनैतिकता तथा चोरी करते देखते हुए भी अपना व्यवहार सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार बना पाते है। मिस इलियट के अध्ययन ने 67 प्रतिशत विश्रृंखलित और 44 प्रतिशत अविश्रृंखलित परिवारों में माता–पिता अनैतिक व्यवहार में लगे हुये थे।

2. विद्यालय :परिवार के बाद बालक के व्यक्तितव पर उसके स्कुल का प्रभाव पड़ता है। स्कूल से भाग जाना एक मुख्य किशोरापराध है। विलियमसन ने 1947 में अपने अध्ययन में यह देखा कि किशोरापराध में स्कूल छोड़ कर भाग जोना और स्कूल के बाहर शहर में घूमना फिरना सबसे अधिक पाये गये। विलियमसन ने स्कूल से भागने के मुख्य कारण माता–पिता द्वारा उपेक्षा अपराधियों के गिरोह में शामिल होना अध्यापक द्वारा दण्ड विषय में कमजोरी तथा शिक्षा स्तर योग्यता से अधिक होना जाये हैं।

3. अपराधी क्षेत्र : विलफोर्ड शॉ और मैक्के के अध्ययन के अनुसार कुछ क्षेत्र बालकों के स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त नहीं होते। यह एक सामान्य बात है कि पड़ोस और मुहल्लों का बालकों पर बड़ा असर पड़ता है। सांख्यिकीय विधि का प्रयोग करके मालर ने यह निष्कर्ष निकाला है न्यूयार्क शहर में किशोरापराधी उस क्षेत्र में अधिक होते थे। मनोरंजन का कोई साधन नहीं था बस्ती अस्थिर थी। अस्थिर बस्तियों में कोई स्थानी सामाजिक नियम नहीं होता। उदाहरण के लिए धर्मशालाओं, सरायों तथा

होटलों के आस–पास पाकिटमार अधिक पाये जाते हैं क्योंकि वहाँ आने जाने वाले का सिलसिला बराबर लगा रहता है विलफोर्ड शॉ और मैक्के ने लगभग 15 शहरों में किशोरापराध का अध्ययन करके यह देखा कि अपराध की दरें नगर के केन्द्रीय भाग में सबसे अधिक और आखिरी छोर पर सबसे कम थी।

4. बुरी संगति :प्रमुख अपराधशास्त्री ए.एच. सदरलैण्ड के अनुसार अपराधी व्यवहार दूसरे व्यक्ति से अन्तःक्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। सदरलैण्ड के शब्दों में 'कानून के उल्लंघन करने में सहायक परिभाषाओं की उपेक्षा अधिकता हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपराधी हो जाता है। बालकों में किसी को बुरी और किसी को अच्छी संगति मिलती है। मनुष्य के व्यवहार पर उसके साथियों का काफी असर पड़ता है।

5. मनोरंजन : बालकों के विकास के लिए मनोरंजन के साधनों का भी बड़ा महत्त्व है। स्कुल के बाद शेष समय में स्वस्थ क्रियाऐं करने की प्रेरणा उन्हें अच्छे वातावरण में ही मिल सकती है। खाली समय का सदुपयोग न होना भी अपराधी व्यवहार को प्रेरित करता है। बालकों के समाजीकरण और नैतिक प्रशिक्षण में खेल–कूद प्रमुख तत्त्व है। अपर्याप्त और अनियंत्रित मनोरंजन नगर में किशोरापराध का महत्त्वपूर्ण कारण है। थस्टर्न के एक अध्ययन में 2507 किशोरोपराधियों के खाली समय का सदुपयोग हुआ था।

6. युद्ध : युद्धकाल और युद्धोत्तर काल में किशोरपराध की दरें बढ़ी पायी गयी। युद्ध में सम्मिलित होने वाले देशों के बालकों की स्कूल की पढ़ाई में बहुत–सी बाधाएँ पड़ती है। अतः बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। नियंत्रण के अभाव के कारण लड़कें–लड़कियों को मिलने–जुलने की बहुत स्वतंत्रता होती है जिसके कारण यौन अपराध बढ़ते है।

7. स्थानान्तरण : स्थानान्तरण का भी किशोरापराध पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टुअर्ट ने बर्कले नगर के अध्ययन देखा है कि किशोरापराधी ऐसे स्थान में अधिक रहते थे जहाँ स्थानान्तरण अधिक था किन्तु अपने परिवार की अपेक्षा वे स्वयं बहुत कम गतिशील होते थें।

8. सामाजिक विघटन : सामाजिक विघटन में व्यक्ति का विघटन होता है। समाज के विघटित होने पर अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। अतः सामाजिक विघटन भी किशोरापराध का एक कारण है। आधुनिक औद्योगिक समाज में समन्वय और समानता का बड़ा अभाव होता है इससे तनाव बढ़ता है और युवक–युवतियों अपराध की ओर बढ़ाते है।

2. मनोवैज्ञानिक कारण : अब तक किशोरापराध के सामाजिक कारणों का वर्णन किया गया था। इस विषय पर अधिकतर खोज सांख्यिकी विधि के आधार पर की गई है। किशोरापराध के कारण की खोज करने की अन्य दो विधियों जीवनवृत्त विधि तथा मनोविश्लेषण विधि के आधार पर खोज से किशोरापराध के मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश पड़ा है। अपराध के संबंध में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत आइसलर ने विकसित किया है। अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में मुख्य कारण निम्नलिखित है :–

1. मानसिक रोग, 2. बौद्धिक दुर्बलता, 3. व्यक्तित्त्व के लक्षण एवं, 4. संवेगात्मक अस्थिरता।

1. मानसिक रोग : कुछ अपराधशास्त्रियों ने मानसिक रोग और अपराध में घनिष्ट संबंध बताये हैं। किशोरापराधियों पर किये गये कुछ अध्ययनों में विभिन्न मानसिक रोग के रोगी पाये गये है और उनको दण्ड की नहीं बल्कि ईलाज कार्य जरूरत है। कुछ मानसिक चिकित्सक साइकोपैथिक व्यक्तित्व को अपराध का कारण मानते है। साइकोपैथिक बालक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ प्रेम नियंत्रण व स्नेह का पूर्ण अभाव होता है।

2. बौद्धिक दुर्बलता : बौद्धिक दुर्बलता को अपराध का कारण मानने वाले मत के मुख्य प्रवर्तक गौडार्ड थे। डॉक्टर गोरिंग ने लोम्ब्रोसों के मत का खण्डन करके यह मत उपस्थित किया कि अपराध का कारण बुद्धि दोष है। गौडार्ड लिखते है कि अपराध का सबसे बड़ा एकमात्र कारण बौद्धिक दुर्बलता है।

3. व्यक्तित्त्व के लक्षण : व्यक्तित्त्व के लक्षणों और अपराध की प्रवृत्ति में भी बहुत निकट संबंध पाया गया है। व्यक्तितव व्यक्ति के परिवेश से अनुकूलन करने का ढंग है। अपराधी बालक इस अनुकूलन में अपराधी कार्यों का प्रयोग करते है। अतः जिनसे किशोरापराध के कारणों पर प्रकाश पड़ता है ग्ल्यूक ने अपनी पुस्तक में किशोरापराधियों में सामान्य बालक की अपेक्षा स्वच्छन्दता विद्रोह, सन्देहशीलता दूसरों को दुःख देने में सुख लेना संवेगात्मक व सामाजिक असमंजस, हिंसात्मक प्रवृत्ति असंयम बहिर्मुखी स्वभाव आदि कही अधिक पायें।

4. स्वेगात्मक अस्थिरता : इसी प्रकार संवेगात्मक अस्थिरता अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। प्रेम और सहानुभूति की कमी संवेगात्मक असुरक्षा, कठोर अनुशासन, हीनता तथा अपर्याप्ता की भावना और विद्रोह की प्रतिक्रिया बालकों के व्यक्तित्त्व को असन्तुलित बना देती है जिससे बालक को अपराधी व्यवहारी की प्रेरणा मिलती है।

3. आर्थिक कारण :

आर्थिक कारण एवं बाल अपराधों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद है जार्ज बोल्ड तथा हीली का मत है कि अधिकांश दशाओं में आर्थिक परिस्थितियाँ बाल–अपचार का कारण होती है जबकि मैरिल ने अपनी पुस्तक 'दि प्रॉब्लम् ऑफ डेलिनक्वेन्सी' में यह सिद्ध किया है कि अधिकांश बाल अपचारी मध्यम तथा उच्च वर्ग के होते हुए भी अपचारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं परन्तु यदि भारतीय सन्दर्भों में देखा जाए तो आर्थिक दशा और बाल अपचार में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

1. निर्धनता : गरीबी सभी बुराईयों की जननी है। बाल अपचार का एक प्रमुख कारण गरीबी होती है। गरीबी के कारण माता–पिता अपने बच्चों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते परिणाम स्वरूप बच्चे चोरी, पॉकेटमारी, राहजनी और हेराफेरी आदि आसामाजिक कार्य करने लगते है। रोडेस और सेलिन अपराध का कारण गरीबी मानते हैं निर्धनता के कारण बच्चों में भावना ग्रन्थियाँ बन जाती है उसका अचेतन मन उन सभी सुविधाओं को पाने के लिये उत्प्रेरित रहता है जिन्हें सम्पन्न

परिवारों के बच्चे भोग रहे हैं इसके लिये वह अवैध तरीके अपनाता है। अपराधी गिरोहों में फंस जाता है और अपराधी कार्य करने लगता है। भारत सरकार द्वारा बाल अपराधियों पर एक सर्वे किया गया उससे ज्ञात हुआ कि 48 प्रतिशत बाल अपराधी ऐसे परिवारों के सदस्य थे जिनकी मासिक आय 250 रूपये से कम थी। बर्ट महोदय का मतानुसार आधे से अधिक बाल अपराधी निर्धन परिवारों से होते हैं।

2. भुखमरी : निर्धनता के कारण लोग अपना भरण–पोषण उचित ढंग से नहीं कर पाते। अतः भुखमरी का सामना करना पड़ता है, भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है ऐसी स्थिति में भूखे–नंगे बालक चोरी, लूट, पाकेटमारी आदि करते है। इस संबंध में डॉ. हेकरवाल (Haitheraul) ने लिखा है ''क्षुधा तथा भुखमरी अपराध के सरल तथा कुटिल मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है।''

3. बच्चों को नौकरी करना : निर्धनता के कारण परिवार के छोटे बालकों को अपनी उदरपूर्ति के लिए छोटे–मोटे काम–धंधे करने पड़ते है। निर्धन परिवारों के बच्चे होटलों, सिनेमाघरों, दुकानों और धनी परिवारों में काम करते है फलस्वरूप उनमें हीन भावनायें और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है ऐसी स्थिति में रहने वाले बालकों में नशाखोरी, धुम्रपान, जुआ, चोरी और वेश्यावृत्ति की बुरी आदतें पड़ जाती है। बड़े–बड़े शहरों में जब इन बालकों का साथ पुराने नौकरों से हो जाता है तो वे नौकर उन्हें विभिन्न प्रकार के अपराधी कार्य करने को प्रोत्साहित करते है।

4. पारिवारिक संघर्ष : अध्ययनों से ज्ञान हुआ है कि बाल अपचारियों का पारिवारिक जीवन संगठित और शक्तिपूर्ण नहीं रहता है। इस संबंध में स्लोवसन तथा सी.बर्ट का अध्ययन महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि ऐसे परिवार में बाल अपराधियों का पालन–पोषण हुआ था जो तलाक, बँटवारा, परित्याग एवं माता–पिता की मृत्यु के फलस्वरूप दूषित हो गया था। ऐसे परिवार में भी बाल अपराधी पाये जाते हैं जिनमें पति–पत्नी या परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते है। ऐसे परिवारों में बच्चों का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता।

किशोर अपराधों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारणों के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस विषय में विशिष्ट कारणवाद का सिद्धांत ठीक नहीं है। वास्तव में आजतक कोई भी अपराधीशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता है कि अपराध के कारण विविध है, व्यक्ति की क्रियाऐं परिवेश के प्रति समंजन करने का ढ़ंग है। इस समंजन में जो व्यक्ति सामाजिक उपाय अपनाते है। वे स्वस्थ कहलाते है इसके अलावा जो व्यक्ति इस अनुकुलन में असामाजिक अथवा असामान्य उपायों का प्रयोग करते है वे अपराधी कहलाते है। इस तरह किसी बालक के अपराधी बनाने में सामाजिक और व्यक्तिगत घरेलू, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सभी कारणों का हाथ है। अतः किशोरापराधी को फिर से समाज का स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए इन बस कारणों को समझकर इनको दूर करने की जरूरत है।

भारतवर्ष में बाल अपराध एक सामाजिक समस्या के रूप में :

भारतवर्ष में बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। यह सामाजिक कोई नई नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है इतना अवश्य है कि पहले इसे गंभीर रूप में नहीं लिखा जाता था जबकि आज इस एक गंभीर समस्या के रूप में लिया जा रहा है। कानूनों का उल्लंघन चाहे वह वयस्क द्वारा किया गया हो या बालकों द्वारा एक राष्ट्रीय समस्या है। आज समाज गतिशील हो गया है। इस गतिशीलता के कारण समाज में अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं। इसका परिणाम पारिवारिक विघटन एवं सामाजिक विघटन के रूपों में भी सामने आ रहा है। समाज में असामंजस्य की स्थिति है, बालकों एवं बड़ों में आज विभिन्न परिवर्तनों तक कारणों से असामंजस्य की स्थिति देखने को मिल रही है परिवर्तन असुन्तुलित रूप में हो रहा है इससे बालकों का मन मस्तिष्क इन परिवर्तनों से बुरी तरह प्रभावित है। आज बाल अपराधों के प्रति लोग जागरूक है। बाल अपराध कोई समस्या नहीं रह जाएगी यदि कारणों को ठीक से समझा जाएं एवं इसके लिए कारगर उपाय किये जाए। बाल अपराध के मूलभुत कारणों के पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन एवं अस्थिरता है। यह पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन एवं अस्थिरता तब उत्पन्न होती है जब परिवार एवं समाज में असामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में निवास करता है तथा अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज में ही करता है यह आवश्यक है कि समाज में सहयोग एवं शक्ति की भावना पाई जाएं। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है जो समाज की जड़ों को खोखला करने का काम करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समस्या का निदान ढूँढ़कर तथा सही प्रयत्न कर इसे समाज से समाप्त किया जाए।

भारत में अपराध :

भारत में बाल–अपराध की समस्या एक विकराल समस्या है। अगर देश में भावी कर्णधार की आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाएं तो उस समाज एवं राष्ट्र की स्थिति क्या होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बाल–अपराध को पनपने से रोका जाए। आँकड़ें बताते है कि भारत में बाल–अपराध की समस्या एक गंभीर समस्या है। 1981 में भारत में बाल–अपराध का प्रतिशत कुल अपराध का 4.4 प्रतिशत था जो 1987 में घटकर 3.7 प्रतिशत हो गया। लेकिन बाद के आँकड़ें बाल–अपराध के संबंध में अलग संकेत करते है। इसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि 1988 में बाल–अपराध का कुल अपराध के वर्गीकरण में अन्तर आया। 1988 में बाल–अपराध का कुल अपराध की दृष्टि से 1.7 था जो 1991 में 0.8 पाया गया। 1991 में सबसे अधिक बाल–अपराध महाराष्ट्र में हुआ। शहरों में मुम्बई बाल–अपराध की मात्रा में 1991 में सबसे आगे रहा। जहाँ तक लिंग के आधार पर बाल–अपराध का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि बाल–अपराध में लड़कियों को सहभागिता बढ़ती जा रही है। विभिन्न आँकड़ें से यह भी पता चलता है कि साक्षर या शिक्षित बालकों को तुलना में निरक्षर बालकों में बाल–अपराध अधिक पाया जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर बाल–अपराध के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है निम्न आय वर्ग

वाले बालकों में इसका प्रतिशत अधिक पाया जाता है। आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि यद्यपि बालकों को अपराधों से मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयत्न किए जाते है लेकिन बाल–अपराधों की पुनरावृत्ति भी होती है अर्थात् सुधारात्मक प्रयत्नों के बावजूद बहुत से बाल–अपराधी दुबारा अपराध करते है। इस प्रकार यह पता चलता है कि यद्यपि हुई है, लेकिन इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सका है। आवश्यकता बाल–अपराध से भारत को मुक्त कराने की है।

जैसे–जैसे समाज में अपराधिकता बढ़ रही है वैसे–वैसे बच्चों द्वारा अपराध करने के मामलों में भी बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

सन् 2000 से पूर्व 16 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 18 वर्ष के कम आयु की युवतियों को बालक माना जाता है लेकिन सन् 2000 में किशोर न्याय अधिनियम–1986 में संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं को 'बालक' माना जाने लगा। सन् 1998 से 2000 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज किये गये कुल अपराधों में से लगभग 0.5 प्रतिशत अपराध बच्चों द्वारा किए गए थे सन् 2001 में यह आँकड़ा बढ़ कर 0.9 प्रतिशत हो गया तो सन् 2002 में 1 फीसदी अपराध, बच्चों द्वारा कारित किये गए। सन् 2002 और 2003 में यह आँकड़ा कमोबेश यही रहा बच्चों द्वारा अपराध कारित करने का प्रतिशत सन् 2006 में बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया जो सन् 2007 के अंत तक कायम रहा। सन् 2008 में बच्चों द्वारा 1.2 प्रतिशत अपराधों को अंजाम दिया गया।

बच्चों द्वारा जो अपराध कारित किये गए थे उनके आरोपियों में बालिकाओं और बालकों का प्रतिशत सन् 2008 में 1:20 था जबकि सन् 2007 में यह अनुपात 1:18 था। 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक बाल अपचारी मध्य प्रदेश में (278), महाराष्ट्र (244) और छत्तीसगढ़ (133) में थे जबकि 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक अपराधी मध्यप्रदेश (2416), महाराष्ट्र (2284), छत्तीसगढ़ (1355), राजस्थान (846), गुजरात (741) और आन्ध्रप्रदेश (630) थे।

16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक बाल अपराधी महाराष्ट्र (4052), मध्यप्रदेश (3631), गुजरात (1350), राजस्थान (1315), बिहार (1065), और हरियाणा (1014) में पाए गए थे। सन् 2008 के दौरान कुल 34,507 बच्चे विभिन्न आरोपों में पुलिस द्वारा गिरफ्त किये गए थे सन् 2008 के अंत तक लगभग 42 प्रतिशत बाल अपचारी अदालतों से सजा सुनने का इंतजार कर रहे थे। अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखण्ड में बाल अपचारियों से संबंधित शत प्रतिशत मामलों का निपटारा सन् 2008 में कर दिया गया था। सन् 2008 में 11.5 फीसदी बाल अपचारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तो 17.5 फीसदी बाल अपचारियों को उनके अभिभावकों की देखरेख में छोड़ दिया गया इसी क्रम में 3.3 फीसदी बाल अपचारियों को विशेष संस्थाओं में भेजा गया, 16.7 प्रतिशत बाल अपचारियों को विशेष ग्रह में भेजा गया और 3.9 प्रतिशत बाल अपराधियों को आर्थिक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।

निष्कर्ष :बाल अपराधियोंको सुधारने में आज भारत भी प्रगतिशील देशों से पीछे नहीं है पर भारतीय समाज में कुछ अन्य समस्याएँ जैसे अतिजनसंख्या, बेरोजगारी, भुखमरी, आदि इतनी अधिक गम्भीर हैं कि उससे ही निपटना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन हो रहा है। यद्यपि ये सच है कि 16 से 18 साल की आयु समूह वाले बच्चों की संख्या जघन्य अपराधों में बढ़ रही है इसलिए संसद में संशोधन की बहस इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये कि हम समाज के रूप में एक न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं या प्रतिकार और सजा या एक ऐसी व्यवस्था जो किशोर अपराधियों के सुधार और समावेश के योग्य हो। राज्य के साथ ही समाज अपने बच्चों के लिये कुछ जिम्मेदारियाँ रखता है कि वो राह से न भटके और समाज का मुख्य पक्ष बने रहें। इस तरह किशोर न्याय में संशोधन करते समय देखभाल और सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।

संदर्भ सूची :

1. राम आहुजा, सामाजिक समस्याएँ (1997), रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ.–190
2. एल.बी. वाजपेयी, अमिता वाजपेयी, विशिष्ट बालक (2008), भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ.–207
3. प्रकाश नारायण नाटानी, प्रज्ञा शर्मा, भारत में सामाजिक समस्याएँ (2000), पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, पृ.–72, 73
4. वही, पृ.–75
5. एल.बी. वाजपेयी, अमिता वाजपेयी, विशिष्ट बालक (2008), भारत बुक सेंटर, लखनऊ, पृ.–223
6. प्रकाश नारायण नाटांनी, प्रज्ञा शर्मा, भारत में सामाजिक समस्याऐं (200), पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ.–223
7. गणेश पाण्डेय, अपराध शास्त्र (2004), राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ.–129, 130
8. नरेन्द्र कुमार शर्मा, अपराधशास्त्र (2011), ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.–116
9. वही, पृ.–117
10. वही, पृ.–117–119
11. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
12. मुकर्जी नाथ रवीन्द्र, अग्रवाल भगत, सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2003
13. महाजन संजीव, सामाजिक समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011
14. वर्मा सिंह चंचल, बालकों की भावनाओं व व्यक्तित्व का अध्ययन, कल्पज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011
14. आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2012

15. भटनागर बी.ए., अधिगमकर्त्ता का विकास एवं शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया, राधिका कम्प्यूटर्स, मेरठ, 2013
16. मिश्र कुमार ब्रज, मानस रोग असामान्य मनोविज्ञान, पी.एच.एल. लर्निंग प्रा.लि., दिल्ली, 2015
17. चक्रवती तरूण, अपने बच्चे को श्रेष्ठ कैसे बनाएँ, डायमण्ड पोकेट बुक्स प्रा.लि., 2016
18. एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट, 2017